



Rapid Fire (करेंट अफेयर्स): 17 मई, 2023

धूल-भरी हवाएँ और उच्च PM10 स्तर: दिल्ली के AQI पर प्रभाव

हाल ही में दिल्ली में तीव्र हवाओं के चलते धूल उड़ने और दृश्यता कम होने के कारण [पार्टिकुलेट मैटर \(PM\) 10](#) के स्तर में वृद्धि देखी गई। [भारतीय मौसम विज्ञान विभाग \(India Meteorological Department- IMD\)](#) के अनुसार, पछिले कुछ दिनों से कम बारिश, उष्णता और तीव्र हवाओं के कारण धूल भरी हवाएँ चल रही हैं, जबकि तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है। IMD के वैज्ञानिकों ने बताया कि उच्च तापमान की वजह से शुष्क मृदा तेज़ हवाओं के कारण हवा में नल्लिबति हो जाती है। PM10 का स्तर 24 घंटे के मानक से 19 गुना अधिक था और PM2.5 के स्तर में भी वृद्धि देखी गई। शहर में 24 घंटे के औसत [वायु गुणवत्ता सूचकांक \(Air Quality Index- AQI\)](#) को अधिकांश नगिरानी स्टेशनों पर 'बहुत खराब' या 'खराब' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वायु में पार्टिकुलेट मैटर से खाँसी और अस्थमा जैसे श्वसन संबंधी समस्याएँ हो सकती हैं। गर्मियों में धूल के स्रोत के लिये शुष्क परस्थितियों और वायु की तीव्र गति को ज़िम्मेदार ठहराया गया है। [ग्रेडेड रसिपांस एक्शन प्लान \(GRAP\)](#) के तहत कार्रवाई शुरू करने हेतु उप-समिति की बैठक हुई, लेकिन कोई भी कार्रवाई न करने का फैसला किया गया क्योंकि अगले कुछ दिनों में स्थिति में सुधार होने की संभावना है।

और पढ़ें... [शहरों में वायु गुणवत्ता और स्वास्थ्य](#)

बांग्लादेश ने राजनयिकों को "अतिरिक्त सुरक्षा अनुरक्षण" प्रदान करना बंद किया

बांग्लादेश ने भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और सऊदी अरब केशीरष राजनयिकों को प्रदान की जाने वाली अतिरिक्त सुरक्षा को भेदभावपूर्ण और अनावश्यक मानते हुए वापस लेने का फैसला किया है, बांग्लादेश ने इसके पीछे का कारण बताते हुए कहा है कि देश की कानून और व्यवस्था अच्छी तरह से नियंत्रित है। वर्ष 2016 में एक आतंकवादी हमले के बाद बढ़े हुए सुरक्षा उपायों के काफी समय बाद यह निर्णय लिया गया है। वदेश मंत्री ने कहा कि वर्तमान कानून और व्यवस्था की स्थिति विशिष्ट दूतों/राजनयिकों के लिये अतिरिक्त सुरक्षा का प्रावधान नहीं करती है और साथ ही यह सुझाव दिया कि आवश्यकता पड़ने पर नज़ी सुरक्षा सेवाओं की मदद ली जा सकती है। मेज़बान देश अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार राजनयिक मशिनों के लिये मानक सुरक्षा सावधानियों को बनाए रखना जारी रखेगा। राजनयिक सुरक्षा के संदर्भ में वर्ष 1961 के राजनयिक संबंधों पर वियना अभिसमय की भूमिका महत्वपूर्ण है। यह संधि स्वतंत्र देशों के बीच राजनयिक संबंधों की रूपरेखा की स्थापना करती है। यह अभिसमय राजनयिक एजेंटों और मशिनों को उनके प्रभावी प्रदर्शन तथा मेज़बान राज्य द्वारा अनुचित हस्तक्षेप से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये विभिन्न विशेषाधिकार एवं प्रतिक्रिया प्रदान करता है। इसके अनुच्छेद 22 में मशिन परस्पर की अनुल्लंघनीयता पर ज़ोर दिया गया है, जिसमें मेज़बान देश का कर्तव्य है कि वह किसी भी घुसपैठ अथवा क़्षत के खिलाफ उनकी रक्षा करे। अनुच्छेद 29 एक राजनयिक एजेंट के सहयोगियों की अनुल्लंघनीयता पर ज़ोर देता है, जिसमें कहा गया है कि मेज़बान राज्य के लिये उनके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना और उनके सहयोगियों की स्वतंत्रता एवं गरिमा की रक्षा करना अनिवार्य है। यह अभिसमय राजनयिक एजेंटों को आपराधिक क़्षेत्राधिकार से मुक्त करता है। हालाँकि यह भी अनिवार्य है कि राजनयिक एजेंट मेज़बान राज्य के कानूनों और नयियों का सम्मान करें तथा उस राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने से बचें। ये सभी प्रावधान राजनयिक मशिनों और कर्मियों की सुरक्षा तथा कामकाज को सुनिश्चित करते हैं।

और पढ़ें... [वियना अभिसमय](#)

भारत में स्वदेशी डेंगू वैक्सीन परीक्षण

सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और पैनासिया बायोटेक, दो प्रमुख दवा निर्माता कंपनियों ने [डेंगू](#) के खिलाफ भारत का पहला टीका विकसित करने की दशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उन्होंने स्वदेशी निर्माताओं के लिये सहयोगी चरण- III नैदानिक परीक्षणों हेतु 'रुचि की अभिव्यक्ति' के जवाब में [भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद \(ICMR\)](#) को आवेदन प्रस्तुत किया है। भारतीय निर्माताओं द्वारा विकसित टेट्रावैलेंट डेंगू वैक्सीन उम्मीदवार की प्रभावकारिता, सुरक्षा और प्रतिक्रिया क्षमता का मूल्यांकन करने के लिये चरण- III परीक्षण आयोजित किये जाते हैं। डेंगू वायरस की बीमारी वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य पर भारी बोझ डालती है, भारत में वार्षिक तौर पर 2-2.5 लाख मामले सामने आते हैं। [वैश्व स्वास्थ्य संगठन \(WHO\)](#) ने डेंगू को शीर्ष दस वैश्विक स्वास्थ्य खतरों में से एक के रूप में मान्यता दी है। वर्तमान में डेंगू के लिये कोई विशिष्ट उपचार नहीं है, जो प्रभावी टीकों की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है। डेंगू एक मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय बीमारी है जो डेंगू वायरस (जीनस फ्लेवीवायरस) के कारण होती है, इसका प्रसार मच्छरों की कई जीनस एडीज़ (Genus Aedes) प्रजातियों मुख्य रूप से एडीज़ इजिप्टी (Aedes aegypti) द्वारा होता है। यह मच्छर [चिकिनगुनिया](#), [पीत ज्वर](#) और [ज़िका संक्रमण](#) का भी प्रसार करता है।

और पढ़ें... [डेंगू](#)

सक्किमि स्थापना दविस

सक्किमि के स्थापना दविस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने सक्किमि वासियों को बधाई दी। 16 मई को वार्षिकी रूप से मनाया जाने वाला यह दविस भारत के साथ सक्किमि के एकीकरण और वर्ष 1975 में देश के 22वें राज्य के रूप में इसकी स्थापना की स्वीकृति का प्रतीक है। सक्किमि राज्य का गठन भारतीय संविधान के 36वें संशोधन के तहत हुआ। सक्किमि का एक समृद्ध इतिहास है। 17वीं शताब्दी में नामग्याल वंश ने सक्किमि साम्राज्य की स्थापना की थी। यह एक पूर्व ब्रिटिश संरक्षित राज्य है, जिसने चोग्याल शासकों के अधीन अपनी प्रशासनिक स्वतंत्रता बनाए रखी। भारत की स्वतंत्रता के बाद सक्किमि भारत के विदेश संबंधों, रक्षा और संचार की देख-रेख के साथ एक संरक्षित क्षेत्र बना रहा। हालाँकि वर्ष 1973 में सक्किमि वासियों के आंदोलन के कारण शासन में बदलाव आया। चोग्याल एक नाममात्र का व्यक्ति बन कर रह गया और सक्किमि को "संबंध राज्य" नामित किया गया। वर्ष 1975 में सक्किमि को राज्य का दर्जा देकर इसे भारत में एकीकृत किया गया और 16 मई को यहाँ राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया। सक्किमि की सीमा उत्तर और उत्तर पूर्व में चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से दक्षिण पूर्व में भूटान, दक्षिण में पश्चिम बंगाल से तथा पश्चिम में नेपाल से संबंध है। भारत की सबसे ऊँची और विश्व की तीसरी सबसे ऊँची पर्वत चोटी माउंट कंचनजंगा पर्वत सक्किमि में स्थित है। पर्वत चोटी के नजदिक स्थित कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान (KNP) (वर्ष 1977 में स्थापित), भारत के सबसे अधिक ऊँचाई वाले संरक्षण क्षेत्रों में से एक है। KNP को वर्ष 2016 में 'मशरति' श्रेणी (प्राकृतिक और सांस्कृतिक महत्त्व वाले स्थल) के तहत एक विश्व धरोहर स्थल नामित किया गया था। सक्किमि में तीस्ता नदी तथा इसकी सहायक नदियाँ जैसे करिंगति, ल्होनक, तालुंग और लाचुंग प्रवाहित होती हैं। तीस्ता नदी जल विवाद, भारत और बांग्लादेश के बीच सबसे विवादास्पद मुद्दों में से एक है। तीस्ता नदी, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है।





Read more: [Sikkim's Statehood Day](#)

राष्ट्रीय फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिपि 2023

नेशनल फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिपि का 26वाँ संस्करण 15 मई, 2023 से **बरिसा मुंडा** स्टेडियम, रांची (झारखंड) में आयोजित किया जा रहा है। प्रतियोगिता का आयोजन दो वर्गों- पुरुष और महिला वर्ग में किया जा रहा है। यह भारतीय एथलेटिक्स सीज़न का **घरेलू टूर्नामेंट** है। इसका आयोजन **भारतीय एथलेटिक्स महासंघ (Athletics Federation of India- AFI)** द्वारा किया जाता है। इसमें शामिल कुछ प्रतियोगिताएँ हैं- जंप; थ्रो-शॉर्ट पुट, डसिकस थ्रो, भाला फेंक; स्प्रिंग इवेंट्स आदि। AFI भारत में एथलेटिक्स को नयित्त्रति और प्रबंधति करने के लयि शीर्ष संस्था है तथा अंतर्राष्ट्रीय एमेच्योर एथलेटिक महासंघ (**IAAF**), एमेच्योर एथलेटिक एसोसिएशन (**AAA**) एवं भारतीय ओलंपिक संघ से संबद्ध है। AFI में 32

संबद्ध राज्य इकाइयाँ और संस्थागत इकाइयाँ हैं। AFI वर्ष 1946 में अस्तित्व में आया था। यह महासंघ राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन करता है, भारतीय एथलेटिक्स राष्ट्रीय कैंपस को प्रशिक्षित करता है एवं ओलंपिक, एशियाई खेलों, विश्व चैंपियनशिप, एशियाई चैंपियनशिप तथा अन्य अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं सहित विभिन्न अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं के लिये भारतीय एथलेटिक्स टीमों का चयन करता है।

ICC ने खेल की परिस्थितियों में बदलाव लागू किया

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने क्रिकेट मैचों को खेलने की परिस्थितियों में कुछ बदलाव किये हैं। एक बड़ा बदलाव यह है कि ऑन-फील्ड अधिकारियों द्वारा 'सॉफ्ट सग्नल' को खत्म कर दिया गया है। ICC के नियमों के अनुसार एक सॉफ्ट सग्नल, अंपायर रिव्यू शुरू करने से पहले तीसरे अंपायर हेतु गेंदबाज के अंतिम अंपायर के मूल ऑन-फील्ड निर्णय का दृश्य प्रसारण है। इस सग्नलका उपयोग करके पृथ्वी से कुछ इंच ऊपर लिये गए कैच की वैधता निर्धारित की गई थी। अधिक भ्रम पैदा करने के लिये विशेषज्ञों द्वारा अक्सर इसकी आलोचना की जाती थी और टीवी अंपायर को इस सग्नल के आधार पर निर्णय लेने में कठिनाई होती थी। एक और महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि हेल्मेट अब उच्च जोखिम वाले पोजीशन में अनिवार्य होगा, जिसके अंतर्गत शामिल हैं- तेज गेंदबाजों का सामना करने वाले बल्लेबाज, स्टंप के पास खड़े विकेटकीपर और विकेट के सामने बल्लेबाज के करीब खड़े क्षेत्ररक्षक। इसके अतिरिक्त फ्री हटि नियम में एक मामूली संशोधन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि जब गेंद स्टंप्स से टकराती है तो फ्री हटि पर बनाए गए रन मानी नहीं होंगे। ये बदलाव 1 जून, 2023 से प्रभावी होंगे, इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच लॉर्ड्स टेस्ट नए नियमों का पालन करने वाला पहला मैच होगा। क्रिकेट कार्यकारी समिति द्वारा पुरुष और महिला क्रिकेट समितियों की सफारिशों को मंजूरी देने के बाद ICC ने ये बदलाव किये हैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) क्रिकेट जगत में वैश्विक शासी निकाय है। 104 सदस्यों के प्रतिनिधित्व के साथ ICC खेल को वनियमित और प्रशासित करता है तथा खेल के विकास के लिये अपने सदस्यों के साथ काम करता है। इसका मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में है।

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/rapid-fire-current-affairs-17-may-2023>

